न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 56/2021

प्रार्थी

श्री यासीन खान पुत्र श्री मेहताब खान जाति मुसलमान निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. स्व. श्री रूगनाथ पुत्र श्री सवाजी जाति राजपूत निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम–
   1.1 श्रीमती मोवनी देवी पत्नि श्री रूगनाथजी जाति राजपूत निवासी काछोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. चेतना पुत्री श्री जीवाजी जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम–
   2.1 श्रीमती दारमी देवी पत्नि स्व. श्री जीवाराम जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   2.2 श्री भंवरलाल पुत्र स्व. श्री जीवाराम जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   2.3 श्री रणजीत कुमार पुत्र स्व. श्री जीवाराम जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   2.4 श्री गोपालराम पुत्र स्व. श्री जीवाराम जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   2.5 श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री जीवाराम जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   2.6 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री जीवाराम जाति लौहार निवासी काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. ग्राम पंचायत काछौली जरिए सरपंच ग्राम पंचायत काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से।
3. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 24.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 1/93–94 दिनांक 27.04.1993 क्षेत्रफल 300 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 1/93–94 दिनांक 27.04.1993 क्षेत्रफल 300 वर्गफुट जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का गांव काछौली में पंचायत भवन के पास कब्जे भोगवटे एवं स्वामित्व का कुल 900 वर्गफीट का भूखण्ड आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी का सन् 1986 से कब्जा भोगवटा आज दिन तक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर करीब 5 ट्रॉली ईंटें व 5 ट्रॉली पत्थर डलवाए हुए थे। ग्राम पंचायत काछौली ने भी प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 7 व 8 के अनुसरण में दिनांक 26.12.1999 को कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, जिस पर भी उक्त प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रार्थी का 13 वर्ष पूर्व का कब्जा बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का इस भूखण्ड पर पुराने कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो गया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत काछौली में विकास अधिकारी पिण्डवाडा व रात्रि चौपाल में उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को भी पट्टा बनाने का आवेदन किया था, जो ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। यह है कि ग्राम पंचायत के प्रशासन ने अप्रार्थी संख्या एक स्व. श्री रघुनोथ, जो उसी ग्राम पंचायत में चपरासी था, को नियमों के विपरीत गुप–चुप पट्टा जारी किया था, जिसका किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि प्रशासन ने कोई भौतिक सत्यापन भी नहीं किया, यहां तक की ग्राम पंचायत के अधिकारी को भी पता नहीं था। उक्त भूखण्ड पर आज भी प्रार्थी का ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत को भी इस बारे में पता नहीं था कि श्री रूगनाथसिंह ने वादी स्वयं को लिखकर दिया था कि उक्त भूखण्ड मैनें पंचायत में चपरासी होने के कारण गलत रूप से जारी करा दिया था, परन्तु उक्त भूखण्ड पर मेरा नहीं बल्कि प्रार्थी का ही कब्जा है, मुझे अन्य जगह पर और निःशुल्क भूखण्ड आवंटित हो गया है, जिसका मैंने इन्द्रा आवास योजना के तहत निर्माण भी करवा लिया है। यदि पंचायत को रघुनाथसिंह के उक्त भूखण्ड की जानकारी होती तो वह रघुनाथसिंह को एक और निःशुल्क पट्टा आवंटन नहीं करती एवं न ही प्रार्थी को भोगवटे का प्रमाण पत्र जारी करती। यह है कि सन् 2008 में श्री केवाराम पुत्र श्री नवाजी उक्त भूखण्ड के श्री रघुनाथसिंह के पट्टे अनुसार 300 वर्गफीट पर कब्जा करने हेतु आए तब प्रार्थी ने विरोध किया तब उसने बताया कि उसने रघुनाथसिंह से उक्त भूखण्ड खरीदा है व भूखण्ड का पट्टा रघुनाथसिंह के नाम से जारी होने का कथन किया। तब प्रार्थी श्री रघुनाथसिंह से मिला तो बताया कि उसने श्री केवाराम द्वारा नशे में 20/– रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर बेचाननामा लिखना बताया एवं प्रार्थी को एक हल्फनामा दिया कि मेरा उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा और मैंने दूसरी जगह निःशुल्क भूखण्ड पर मकान बना लिया है तो केवाराम ने मुझे शराब के नशे में उक्त इकरारनामा पर हस्ताक्षर करवाए है, जबकि मैंने उसको नहीं बेचा है एवं उक्त भूखण्ड पर यासीन का कब्जा है, जिसे मुझे बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। यह है कि उक्त पट्टे की शर्त संख्या तीन के अनुसार ही श्री रघुनाथसिंह को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण उक्त इकरारनामा स्वतः ही शून्य है। यह है कि उक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो अवैध रूप से कार्य करने लगी तो प्रार्थी ने एक सिविल वाद भी सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में वाद संख्या 41/2014 पेश किया एवं वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण चालू रखा और अपने पट्टेशुदा भाग 300 वर्गफीट पर मकान निर्माण कर लिया था एवं अतिरिक्त भूमि पर किए गए निर्माण के लिए अप्रार्थी संख्या दो के विरूद्ध न्यायालय

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें अप्रार्थी संख्या दो को सजा हुई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 1/93–94 दिनांक 27.04.1993 क्षेत्रफल 300 वर्गफुट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान क्रमशः अप्रार्थी संख्या 1/1 की ओर से पूर्व में इस न्यायालय में अधिवक्ता श्री नवरतनसिंह देवल द्वारा दिनांक 06.01.2022 को अण्डरटेंकिग दी गई थी, परन्तु उनके द्वारा न तो वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया। अतः अप्रार्थी संख्या 1/1 को पूर्व में कई अवसर प्रदान किए जाने से इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या दो के वारिसानों की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के उक्त पट्टा संख्या 1999–94 में जारी किया गया था एवं मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या एक को सुपूर्द किया था। प्रार्थी का कोई कब्जा भोगवटा उक्त भूखण्ड पर नहीं है एवं न ही प्रार्थी की कोई पांच ट्रॉली पत्थर व ईंटे है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली विचारधीन होने का गलत कथन किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया है, जो सही है। यह है कि प्रार्थी द्वारा नशे में बेचाननामा लिखने का एवं हल्फनामे का कथन किया है। उक्त दस्तावेज कूटरचित होने से अप्रार्थी श्री केवाराम व प्रार्थी श्री यासीन खान के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अलग से करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी व श्री केवाराम द्वारा आपस में मिली भगत कर गलत दस्तावेज तैयार किए है। यह है कि उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के नाम से होने से एवं मौके पर अप्रार्थीगण काबिज होने से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि पट्टा तथा विक्रय विलेख को शून्य व निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायाधीश को ही है एवं प्रार्थी अपने रिवीजन में कह रहा है कि पट्टा शून्य है तो उसने पट्टा निरस्ती की रिवीजन क्यों प्रस्तुत की। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 के पति श्री रूगनाथसिंह के नाम जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 27.04.1993 पट्टाधारी की मृत्यु होने से तथा क्रेता चेतना की भी मृत्यु हो जाने से मृतक के विरूद्ध उक्त न्यायालय किसी भी प्रकार से पट्टा निरस्ती का आदेश प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान का विधिक अस्तित्व भाईयों का कैसे है अर्थात बहन की सम्पत्ति में भाईयों का हिस्सा कैसे है और वो कैसे आवश्यक पक्षकार है, ये चीजे माननीय न्यायालय के घोर तलब है। अतः प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड पर 1986 से आज दिन तक प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा चले आने व उक्त भूखण्ड पर पांच ट्रॉली ईंट व पत्थर डलवाने के कथन पूर्णतया गलत, मनगढंत व मिथ्या है। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 दिनांक 30.12.1996 को लागू हो चुका है एवं इस अधिनियम में कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र जारी करने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इसके उपरान्त भी कई सरपंचगण स्वार्थ पूर्ति हेतु कब्जे भोगवटे के प्रमाण पत्र गलत रूप से जारी कर ग्राम पंचायत को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपने पत्रांक/पंचायत/02/339 दिनांक 18.05.2002 को आदेश जारी कर समस्त ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति को सूचित किया था कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र अगर जारी किया है तो उनके विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा 01.01.1997 के पश्चात से ऐसे किसी प्रमाण पत्र के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही अमल में लाए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रकार उक्त अधिनियम दिनांक 31.12.1996 को लागू होने के पश्चात ऐसा कब्जा भोगवटा का प्रमाण पत्र जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं था एवं तत्कालीन सरपंच द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज नियमों से परे जाकर जारी भी किया है तो वह कानूनन शून्य व बातिल दस्तावेज है एवं ऐसे दस्तावेज से किसी प्रकार का कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादग्रस्त पट्टा संख्या 1/93–94 दिनांक 27.04.1993 क्षेत्रफल 300 वर्गफुट ग्राम पंचायत, काछौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत काछौली द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 13.09.1999 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसरण में जरिए पेत्र क्रमांक/एस.पी./1999–2000 दिनांक 26.12.1999 द्वारा प्रार्थी के हक में कुल 900 वर्गफीट का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में उक्त विवादग्रस्त पट्टा दिनांक 27.04.1993 को ही जारी कर दिया गया था। अतः उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी होने के बाद भी ग्राम पंचायत काछौली द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र प्रार्थी के हक में जारी किया गया है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को कब्जा भोगवटा/स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी कब्जा/स्वामित्व प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इसके उपरान्त कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/पंचायत/02/339 दिनांक 18.05.2002 को आदेश जारी कर समस्त ग्राम पंचायतों व पंचायत समिति को सूचित किया था कि राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 दिनांक 30.12.1996 को लागू हो चुके है एवं इस नियम के तहत कब्जे भोगवटे प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायत काछौली द्वारा प्रार्थी के हक में दिनांक 26.12.1999 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया था, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के लागू होने के पश्चात जारी किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 18.05.2002 को जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत काछौली द्वारा दिनांक 26.12.1999 को जारी उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रशासक ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 267 के तहत निःशुल्क आवासीय आवंटन पट्टा संख्या 1/93–94 दिनांक 27.04.1993 क्षेत्रफल 300 वर्गफीट का जारी किया था जिसकी शर्त संख्या तीन के अनुसार इस आवासीय आवंटित भूमि के हस्तान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नहीं होगा एवं यह उसके स्वयं के स्वामित्व में रहेगी। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आधार पर उक्त आवंटित पट्टेशुदा भूखण्ड को दिनांक 27.04.2011 को पट्टाधारक श्री रूगनाथसिंह के मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नि श्रीमती मोवनीबाई द्वारा अप्रार्थी संख्या दो चेतना पुत्री श्री जीवाजी जाति लौहार निवासी काछौली को बेचान किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक की मृत्यु उपरान्त श्रीमती मोवनीबाई द्वारा उक्त विवादग्रस्त पट्टा, जो कि शर्तों के अध्याधीन था, की शर्त संख्या तीन का स्पष्ट उल्लंघन किया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 267 के तहत भूमिहीन अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन किया जाएगा, जो शर्तों के अध्याधीन रहेगा परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त विवादित आवंटनशुदा भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या दो को बेचान किए जाने से उक्त पट्टे की शर्त संख्या तीन का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 1/93–94 दिनांक 27.04.1993 क्षेत्रफल 300 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत काछौली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner